भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **3519** जिसका उत्तर

शुक्रवार, 13 मार्च, 2026/22 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाना है

तमिलनाडु में पोत निर्माण क्लस्टर

†3519. श्री नवसकनी के .:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में विकसित किए जा रहे प्रस्तावित मेगा पोत निर्माण और पोत मरम्मत क्लस्टर के अंतर्गत तमिलनाडु को एक प्रमुख केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन पोत निर्माण पहलों से तमिलनाडु के रामनाथपुरम जैसे पड़ोसी तटीय जिलों के लिए संभावित आर्थिक, रोजगार और सहायक उद्योग लाभों का परीक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित पोत निर्माण क्लस्टर के संबंध में उक्त जिले में पत्तन-आधारित बुनियादी ढांचे, कौशल कार्यक्रमों, एमएसएमई की भागीदारी और आपूर्ति-श्रृंखला संपर्क का विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त जिले के तटीय समुदायों, पारंपरिक मछुआरों और युवाओं को लक्षित प्रशिक्षण और आजीविका के अवसरों के माध्यम से एकीकृत करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार दक्षिणी तमिलनाडु तट के साथ संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए जिला-विशिष्ट हस्तक्षेप करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ग): तमिलनाडु सरकार ने थूथुकुडी जिला, तमिलनाडु में ग्रीन फील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर की स्थापना का प्रस्ताव किया है। इस क्लस्टर की स्थापना हेतु वी.ओ.चिदंबरनार पत्तन (वीओसीपीए) और स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एसआईपीसीओटी) ने "नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज पार्क तमिलनाडु लिमिटेड" (एनएसएचआईपी टीएन) नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया है और प्रत्येक पक्ष की जिम्मेदारियों पर विचार- विमर्श करते हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है।

तमिलनाडु सरकार ने यह सूचित किया कि उन्होंने रामानाथपुरम जिले सहित तमिलनाडु के तटीय जिलों के लिए पोत निर्माण और पोत मरम्मत पहलों के संभावित आर्थिक और रोजगार प्रभावों का अध्ययन किया है। इस क्लस्टर की स्थापना से पोत निर्माण उद्योग की क्षमता और सामर्थ्य में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे सहायक उद्योग आकर्षित होंगे और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा और रामानाथपुरम जिले जैसे पड़ोसी तटीय जिलों में आपूर्ति- श्रृंखला संबंध में सुधार होगा। पोत निर्माण उद्योग में रोजगार के 6.4 के उच्च गुणक के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन की अपार संभावना है। एनएसएचआईपीटीएन पहल से पोत निर्माण, पोत मरम्मत, मरीन इंजीनियरिंग, फेब्रिकेशन, लॉजिस्टिक्स और पत्तन सेवाओं में 55,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों के सृजन की संभावना है। ऐसे क्लस्टरों के विकास से मरीन उपकरण विनिर्माण, स्टील फेब्रिकेशन, इलेक्ट्रिकल प्रणालियों, कोटिंग्स और प्रीसिज़न इंजीनियरिंग सहित सहायक उद्योगों के मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रत्यक्ष रोजगार के अलावा, ये पहलें समुद्री आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करके और मत्स्यन, लॉजिस्टिक्स, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और सेवा क्षेत्रों में आर्थिक गुणक के सृजन से ब्लू इकॉनोमी को मजबूत करने और इस प्रकार क्षेत्रीय आर्थिक विकास में योगदान करने की संभावना रखती है।

तमिलनाडु सरकार तटरेखा पर पत्तन आधारित औद्योगिकीकरण को मजबूत करने और रामानाथपुरम जैसे तटीय जिलों में संबंधित अवसंरचना, कौशल विकास कार्यक्रमों, एमएसएमई की भागीदारी और आपूर्ति श्रृंखला संबंधों का विस्तार करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। तमिलनाडु पोत निर्माण नीति, 2026 में इक्विटी समर्थन, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) और प्लग-एंड- प्ले अवसंरचना सहित कई पहलें शामिल है जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय एमएसएमई को समुद्री आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करने में सक्षम बनाने के दौरान पोत निर्माण और पोत मरम्मत पारिस्थितिकियों को बढ़ावा देना है।

(घ) से (ङ): राज्य सरकार द्वारा पोत मरम्मत, हरित जलयान रख-रखाव, समुद्री इंजीनियरिंग समर्थन सेवाओं, फेब्रिकेशन, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल कार्यों, लॉजिस्टिक्स और पत्तन प्रचालन जैसे क्षेत्रों में क्षेत्रीय विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से कौशल विकास और आजीविका कार्यक्रम प्रोत्साहित किए जा रहे है। ये पहलें नौका निर्माण और समुद्री सेवाओं जैसी गतिविधियों में सहायता प्रदान करने के लिए मौजूदा मछुआरा समुदाय नेटवर्क और समुद्री ज्ञान का लाभ उठाती हैं।

राज्य सरकार द्वारा दक्षिण तटीय जिलों में अवसंरचना, औद्योगिकीकरण और आजीविका अवसरों को मजबूत करने के लिए जिला विशिष्ट हस्तक्षेप किए जाते हैं। इन पहलों में पत्तन संपर्कता में सुधार, समुद्र आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन, मत्स्यन अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, एमएसएमई क्लस्टरों को सहायता और कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है।
